संख्या-555/15-7-06-16(28)/2006

प्रेषक,

अजीत प्रकाश,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक 12 अप्रैल, 2006

विषय :- एमिटी इन्टरनेशनल स्कूल वसुन्धरा सेक्टर-6 गाजियाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रखेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नईदिल्ली/कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
(5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

-----2-----

Manager
Amity Int'l School
Vasundhara, Sec-6
Ghaziabad

Sunila Athley
PRINCIPAL
Amity International School
Sector-6, Vasundhara
Ghaziabad-201012 (U.P.)

AMITY INTERNATIONAL SCHOOL

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धी नियमों और उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय समकक्ष माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(अजीत प्रकाश)
उप सचिव।

पृ0सं0- 555(1)/15-7-2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
5- प्रबंधक, अमिटी इण्टरनेशनल स्कूल वसुन्धरा सेक्टर-6 गाजियाबाद।
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ह0
(अजीत प्रकाश)
उप सचिव।

Manager
Amity Int'l School
Vasundhara, Sec-6
Ghaziabad

AMITY INTERNATIONAL SCHOOL
VASUNDHARA
SECTOR-6
CBSE Aff 2130884

Sunila Athley
PRINCIPAL
Amity International School
Sector-6, Vasundhara
Ghaziabad-201012 (U.P.)